

मसूदा के ग्राम देवमंगरी के डाबली गोडा में शिकारी के फंदे में फंसी मादा पैंथर

सुबह पशुओं को चराने पहुंचे ग्रामीणों ने पैंथर को फंदे में फंसा देखा

मसूदा, (कासं)। मसूदा पंचायत समिति के ग्राम देवमंगरी क्षेत्र के डाबली गोडा में बेरी के समीप उस समय हड़कंप मच गया, जब पानी पीने के दौरान एक मादा पैंथर शिकारियों द्वारा लगाए गए फंदे में फंस गई। सुबह पशुओं को चराने पहुंचे ग्रामीणों ने पैंथर को फंदे में फंसा देखा तो वे घबरा गए। इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पैंथर को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए राजसमंद से वन विभाग की विशेष टीम बुलाई गई। मौके पर पहुंची टीम ने सावधानीपूर्वक पैंथर को ट्रैक्चूलाइज किया और उसे काबू में लिया। इसके बाद पैंथर को सुरक्षित तरीके से पिंजरे में डालकर राजसमंद के टाटगढ़ क्षेत्र में छोड़ दिया गया।

घटना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर लगाए गए फंदे की जांच शुरू कर दी है। विभाग यह पता लगाने



राजसमंद से पहुंची वन विभाग की विशेष टीम ने सावधानीपूर्वक पैंथर को पकड़ा।

में जुटा है कि फंदा किसने लगाया और इसके पीछे किसका हाथ है। वन्यजीवों

के शिकार के लिए इस प्रकार फंदे लगाए जाना गंभीर मामला है, जिससे

वन्यजीवों की सुरक्षा पर खतरा बना रहता है। समय रहते ग्रामीणों की सूचना

■ **वन विभाग की टीम ने पैंथर को सुरक्षित तरीके से पिंजरे में डालकर राजसमंद के टाटगढ़ क्षेत्र में छोड़ दिया**

मिलने और वन विभाग की टीम की त्वरित कार्रवाई से मादा पैंथर को सुरक्षित बचा लिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

रेस्क्यू अभियान के दौरान मसूदा रेंजर जगदेव ईंचार्ज संतर्द सिंह तथा बीट कर्मचारी सेठाराम सहित वन विभाग के अन्य कार्मिक मौजूद रहे। टीम ने आवश्यक सावधानियां बरतते हुए रेस्क्यू अभियान पूरा किया। वन विभाग की ओर से मौके पर मिले फंदे की जांच की जा रही है, ताकि उसे लगाने वाले व्यक्ति की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

मसूदा क्षेत्र के ग्राम शेरगढ़ में फिर दिखे दो पैंथर

बंद पड़ी माइंस के मलबे में पैंथरों के बसेरे की आशंका जताई

मसूदा, (कासं)। मसूदा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत शेरगढ़ में बीती रात एक बार फिर दो पैंथर दिखाई देने से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई। पैंथरों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर प्रशासन और वन विभाग सक्रिय हो गए। मौके पर पहुंची मसूदा उपखंड अधिकारी दीपशिखा कालवी ने वन विभाग के अधिकारियों को पैंथरों को पकड़ने के लिए पिंजरा

लगाने और क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। मौके पर पैंथरों के पदचिह्न भी मिले, जिनका वन विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। दो पैंथरों की मौजूदगी सामने आने के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के आसपास पैंथरों का विचरण पहले भी दिखाई देता रहा है।

ग्रामीणों के अनुसार, गांव के

■ **ग्रामीणों ने वन विभाग से पैंथरों को सुरक्षित तरीके से पकड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है**

समीप स्थित बंद पड़ी माइंस में जमा मलबे के बीच पिछले कई वर्षों से पैंथरों के बसेरा होने की आशंका बनी हुई है।

आसपास के क्षेत्र में पैंथरों की गतिविधियां दिखाई देने से लोगों की

चिंता बढ़ गई है। खासकर रात के समय ग्रामीणों को किसी अभ्रिय घटना की आशंका सता रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में नियमित गश्त करने, पैंथरों की गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें

सुरक्षित तरीके से पकड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते उचित कार्रवाई होने से संभावित जनहानि और अन्य अभ्रिय घटनाओं को रोका जा सकता है। मौके पर मसूदा थानाधिकारी विजय सिंह मीणा, उपखंड अधिकारी दीपशिखा कालवी तथा वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

श्रीगंगानगर में माकपा के जिला परिषद प्रत्याशी से दो करोड़ की फिरौती मांगी

श्रीगंगानगर, (निसं)। यहां माकपा के जिला परिषद प्रत्याशी से गैंगस्टर विशाल पचार के नाम से दो करोड़ की फिरौती मांगी गई है। प्रत्याशी ने पैसे नहीं होने की बात कही तो गैंगस्टर ने धमकाया कि मुझे पता है कि तेरे पास

काफी पैसे हैं और तू चुनाव लड़ रहा है। जानकारी के अनुसार गैंगस्टर ने माकपा प्रत्याशी से चुनाव छोड़ने की धमकी दी और ऐसा नहीं करने पर जान से मरवाने की बात कही। आरोपी वॉट्सएप कॉल पर प्रत्याशी को लगातार धमकियां दे रहा है। मामला सदर थाना

■ **प्रत्याशी ने पैसे नहीं होने की बात कही तो गैंगस्टर ने धमकाया कि मुझे पता है कि तेरे पास काफी पैसे हैं और तू चुनाव लड़ रहा है**

क्षेत्र का है। एसपी हरीशंकर ने बताया कि बेअंत सिंह उर्फ बिट्टू प्रधान निवासी 1 बी प्रथम, ग्राम पंचायत 4 जेड, मोहनपुरा रोड श्रीगंगानगर ने शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि मैंने जिला परिषद सदस्य के लिए वार्ड 34 से नामांकन दाखिल किया है।

25 अक्टूबर की रात 8:47 बजे

मेरे वॉट्सएप नंबर पर विदेशी नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को गैंगस्टर विशाल पचार बताया और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो गैंगस्टर ने कहा कि तेरे पास काफी पैसे हैं और तू चुनाव लड़ रहा है। माकपा प्रत्याशी ने बताया कि गैंगस्टर ने मुझे चुनाव

लड़ने से पीछे हटने की धमकी दी और ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की बात कही। गैंगस्टर ने कहा कि मैं देखता हूँ कि तू (बेअंत सिंह) कैसे चुनाव लड़ता है और तुझे तैयारी करके रहना चाहिए। गैंगस्टर ने आज सुबह भी फोन कर धमकाया। एसपी हरीशंकर ने बताया कि जिला परिषद प्रत्याशी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है और जांच की जा रही है। जिन नंबरों से प्रत्याशी के पास वॉट्सएप कॉल आया है, उसकी भी जांच की जा रही है।

युवा मतदाताओं के शत-प्रतिशत पंजीकरण का लक्ष्य हासिल करने के निर्देश जारी

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के पात्र युवाओं एवं प्रथम बार मतदाताओं के मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए विशेष अभियान पूर्व से संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत अब शत-प्रतिशत पंजीकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

राजस्थान नवीन महाजन ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक पात्र युवा का चिन्हीकरण

कर उसका मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी पात्र युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।

अभियान के अंतर्गत राज्य के समस्त सरकारी एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत पात्र युवाओं का संस्थानवार विवरण प्राप्त कर उनके मतदाता पंजीकरण की स्थिति का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए संबंधित शिक्षा अधिकारियों एवं शैक्षणिक संस्थानों से समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों की जन्मतिथि सहित सूची प्राप्त करने तथा पंजीकरण से वंचित पात्र

युवाओं की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। पंजीकरण से शेष पात्र विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त करने के लिए संबंधित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पात्र विद्यार्थियों का विवरण संकलित कर उनके पंजीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान से पात्र युवाओं की कुल संख्या, मतदाता सूची में पंजीकृत युवाओं की संख्या, अंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले युवाओं की संख्या तथा पंजीकरण से शेष युवाओं का

विवरण संकलित किया जाएगा। प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संस्थानवार एवं विधानसभा क्षेत्रवार कार्ययोजना तैयार करेगा। इसमें पंजीकरण लक्ष्य, विशेष शिविरों का कार्यक्रम, उत्तरदायी अधिकारियों एवं कार्मिकों का विवरण तथा दैनिक प्रगति की समीक्षा एवं निगरानी की व्यवस्था शामिल होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारियों को अभियान की नियमित समीक्षा करने, सभी संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को इसमें शामिल करने तथा आगामी एक सप्ताह में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

रिश्वत के दोषी को सजा सुनाई

कोटा, (निसं)। न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय ने रिश्वत लेने के 16 साल पुराने मामले में पकड़े गये आरोपी विद्युत निगम के तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता अनिल कुमार गुप्ता को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई, साथ ही 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। सहायक निदेशक अभियोजन जया गौतम ने बताया कि परिवादी डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने 21 अप्रैल 2010 को एसीबी में शिकायत दी थी।

भीलवाड़ा के उपरमाल और बरड़ क्षेत्रों की खदानों में समय पर खनन शुरू



भीलवाड़ा के उपरमाल और बरड़ क्षेत्रों की खानों में बरसात का पानी नहीं भरने से खनन कार्य शुरू हुआ।

भीलवाड़ा, (निसं)। इस बार मानसून के दौरान औसत से कम बारिश होने का सीधा और सकारात्मक असर क्षेत्र की खनन गतिविधियों पर देखने को मिला है। उपरमाल और बरड़ क्षेत्र के आरोली, डाबी, सुतड़ा और आसपास के विभिन्न खनन क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण खदानों में पानी जमा नहीं हो पाया। यही वजह है कि इस वर्ष खदानें समय से पहले ही गुलजार हो गई हैं और नवरात्रि के पावन पर्व से ही खनन कार्य सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। सामान्य तौर पर बारिश के बाद खदानों में पानी भर जाने से खनन कार्य काफी समय तक प्रभावित रहता है, लेकिन इस बार हालात इसके विपरीत रहे हैं।

व्यापारियों और कारोबारियों को मिली राहत :- सुतड़ा क्षेत्र के जाने-माने पत्थर व्यवसायी एवं तिरुपति इंपैक्स के डायरेक्टर दीपक राठौर ने बताया कि इस वर्ष क्षेत्र में कम बारिश

■ **आरोली, डाबी, सुतड़ा और आसपास के विभिन्न खनन क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण खदानों में पानी जमा नहीं हो पाया है**

होने के कारण खदानों में जलभराव की समस्या नहीं आई। नतीजतन, खनन कार्य काफी पहले शुरू किया जा सका। उन्होंने कहा कि नवरात्रि से ही खनन गतिविधियां शुरू होने से क्षेत्र के पत्थर व्यवसाय ने एक नई गति पकड़ ली है, जिससे से जुड़े व्यापारियों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है।

उपरमाल और बरड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सलावटिया, आरोली, डाबी, सुतड़ा, धनेश्वर और बुधपुरा सहित

तमाम ग्रामीण इलाकों में खनन व्यवसाय ही स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार का मुख्य स्तंभ है। यहां संचालित खदानों और स्टोन कटिंग इंडस्ट्रीज से हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। समय पर खनन कार्य शुरू होने से क्षेत्र के मजदूरों, भारी वाहनों के चालकों, मशीन ऑपरेटरों और अन्य श्रमिकों के लिए रोजगार के रास्ते तुरंत खुल गए हैं।

इन क्षेत्रों से निकलने वाले उच्च गुणवत्ता वाले पत्थरों की मांग केवल देश के कई राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इसकी घूम है। एशिया के साथ-साथ यूरोपीय देशों तक यहां के पत्थरों का निर्यात किया जाता है। खनन गतिविधियां समय पर शुरू होने से न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिला है, बल्कि देश के निर्यात कारोबार को भी मजबूती मिली है।

28 साल से कार्यरत अस्थायी कर्मचारी को हाईकोर्ट से राहत

■ **जेएनवीयू द्वारा अस्थायी कर्मचारी मुकेश गहलोत के नियमितीकरण संबंधी एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील रिट याचिका खारिज**

के रूप में कार्यरत है। एकलपीठ ने उन्हें नियमित करने के आदेश दिए थे। साथ ही, उनकी सेवाएं समाप्त नहीं करने और उन्हें नौकरी से नहीं हटाने के संबंध में भी निर्देश दिए थे। इस मामले में मुकेश गहलोत को और से अधिकवक्ता निखिल भंडारी ने पैरवी की थी। एकलपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में विशेष अपील रिट याचिका दायर की थी। विश्वविद्यालय ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त करने की मांग की थी। खंडपीठ में सुनवाई के दौरान मुकेश गहलोत की ओर से अधिकवक्ता निखिल भंडारी ने तर्क दिया कि विश्वविद्यालय से जुड़े ललित

गहलोत प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने 20 अगस्त 2026 को विश्वविद्यालय की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी थी। ऐसे में वर्तमान मामले में विश्वविद्यालय की विशेष अपील पर सुनवाई जारी रखने का औचित्य नहीं रह जाता। इन तर्कों से सहमत होते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा ने विश्वविद्यालय की विशेष अपील रिट याचिका खारिज कर दी। इस निर्णय से मुकेश गहलोत को राहत मिली है तथा उनके नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा को लेकर एकलपीठ के आदेश बरकरार रहे हैं।

चलते कंटेनर में आग लगी

टोंक, (निसं)। सदर थाना स्थित बनास नदी पुल पर एक कंटेनर में लगी भीषण आग लग गई, जिसके बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तथा दमकल को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। प्राप्ता जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण टायर फटना बताया गया है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को बनास नदी के पुल पर एक कंटेनर में अचानक भीषण आग लगने के बाद उसमें आग की ऊंची लपटों को देखकर राहगीरों ने तत्काल सदर थाना पुलिस एवं बरौनी थाना पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पुलिस थाना टीम पहुंची तथा स्थिति को संभालते हुए सुरक्षा के मद्देनजर यातायात रुकवा दिया। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना देकर मौके पर दमकल वाहन बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशकत के बाद जलते हुए कंटेनर की आग पर काबू पाया।

सुप्रीम कोर्ट ने जासूसी मामले में जब्बराराम की जमानत रद्द की

हाईकोर्ट के जमानत आदेश को कानून की दृष्टि से अनुचित माना, जब्बराराम को दो सप्ताह में आत्मसमर्पण के निर्देश दिये

■ **जब्बराराम को एक खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने और भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी हैडलर तक पहुंचाने का आरोप है**

आदेश को कानून की दृष्टि से अनुचित माना। पीठ ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों और जांच में सामने आए साक्ष्यों पर समुचित विचार नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई।

रिश्वत के दोषी को सजा सुनाई

कोटा, (निसं)। न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय ने रिश्वत लेने के 16 साल पुराने मामले में पकड़े गये आरोपी विद्युत निगम के तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता अनिल कुमार गुप्ता को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई, साथ ही 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। सहायक निदेशक अभियोजन जया गौतम ने बताया कि परिवादी डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने 21 अप्रैल 2010 को एसीबी में शिकायत दी थी।

खंडहर में डकैती की योजना बनाते दस जने गिरफ्तार, दो बाल अपचारी निरुद्ध

कोटा, (निसं)। नान्ता पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना इलाके में स्थित खंडर के कमरे में डकैती की योजना बनाते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही दो नाबालिगों को विधि से संघर्षरत निरुद्ध किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि अपराध नियंत्रण एंड अपराधियों की धरपकड़ के लिये पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शहर एसपी ने बताया कि नान्ता थानाधिकारी को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ असमाजिक तत्व के लोग यूनियन ऑफिस पत्थरमण्डी के पास खाली जगह पर बने एक खंडर कमरे से डकैती की वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक राजेश टेलर के सुपरविजन में नान्ता थानाधिकारी महावीर प्रसाद के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने यूनियन ऑफिस



नान्ता पुलिस टीम ने डकैती की योजना बनाते हुए दस आरोपियों को दबोचा।

पत्थरमण्डी के पास खाली जगह पर बने एक खण्डर कमरे से डकैती की वारदात को अंजाम देने की योजना बनाते 10

आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही दो नाबालिगों को विधि से संघर्षरत निरुद्ध किया।

पुलिस टीम ने पकड़े गये आरोपियों के कब्जे से 3 लजरी चौपहिया वाहन एवं धारदार हथियार